सचिका सं.–विविध-03/16-13/2019 2298 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त, नगर निगम,
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना दिनांक–17/8/19

विषय :– बिहार राज्य नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित।

महाशय,

बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में खुले में कचरा/अपशिष्ट को जलाने वाले व्यक्ति/संस्थान पर दंड शुल्क (Spot Fine) लगाये जाने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन अति आवश्यक है। चूँकि कचरे को खुले में जलाने के कारण उससे उत्सर्जित गैस के कारण वायुमण्डल दूषित होता है, साथ ही यह हरित गृह प्रभाव का भी कारक है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि वैसे सभी व्यक्ति/संस्थान आदि जो खुले में कचरे/अपशिष्ट को जलाते हैं, उन पर उपविधि में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड शुल्क (Spot Fine) लगाया जाए। इसे अलग से Register में विस्तार रूप से अंकित किया जाए, जिसमें घटना के साथ लिए गए दण्ड शुल्क (Spot Fine) आदि का विवरण हो।

विश्वासभाजन,

17/8/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

E:\till October-SBM-SPMU-WORKS\PMU-Daily Letter-.Anil.docx390